

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आजा


क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)सं.प.अ. / 58 /2020

दिनांक : 28.02.2020

श्रीमती मीनाक्षी शर्मा (RJ0182), विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ मामलात, क्रम- 02, चित्तौड़गढ़ को दिनांक 02.03.2020 से 19.03.2020 तक 18 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 01.03.2020 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्री अजय सिंह (RJ0125), विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ मामलात, क्रम- 01, चित्तौड़गढ़ को श्रीमती मीनाक्षी शर्मा के उक्त अवकाश अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ-साथ विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ मामलात, क्रम- 02, चित्तौड़गढ़ के पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित किये जाने हेतु एतद्वारा पदस्थापित / नियुक्त कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं :-

1. ऐसे प्रकरणों, जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है और उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निस्तारण के आदेश पारित हैं, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे ।
2. श्री अजय सिंह (RJ0125), जिनको विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ मामलात, क्रम- 02, चित्तौड़गढ़ के अतिरिक्त कार्यभार के लिए नियुक्त किया गया है, को उक्त न्यायालय के कार्य का निस्तारण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कम से कम 40% किया जाना आवश्यक है ।

आजा से



रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.र(4)/18/2013/ 1494

दिनांक 28.02.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चित्तौड़गढ़ ।
3. विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ मामलात, क्रम- 02, चित्तौड़गढ़ को उनके पत्रांक 10 दिनांक 24.01.2020 के सन्दर्भ में ।
4. श्रीमती मीनाक्षी शर्मा (RJ0182), विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ मामलात, क्रम- 02, चित्तौड़गढ़ ।
5. श्री अजय सिंह (RJ0125), विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ मामलात, क्रम- 01, चित्तौड़गढ़ ।
6. विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ मामलात, क्रम- 01, चित्तौड़गढ़ ।
7. संबंधित कोषालय ।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर ।


सहायक रजिस्ट्रार